



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—653—औ०सं०/२०१८—८७—ए०एस०/९६

दिनांक: १६ मार्च, २०१८

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लिंग / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

ई-मेल

विषय:—अधिकारियों / कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) खातों से की गयी कटौती की सूचना ससमय सी०पी०एफ० ट्रस्ट को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में महासचिव, जूनियर इंजीनियर संगठन के पत्र सं०-४७ / डी०जी०-१४ दिनांक 26.02.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संगठन द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वितरण एवं पारेषण क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों की सी०पी०एफ अंशदान कटौती की वार्षिक समेकित अनुसूची खण्डीय कार्यालय से सी०पी०एफ० ट्रस्ट को ससमय उपलब्ध न कराये जाने से कार्मिकों के खाते में नियोक्ता का अंशदान ससमय जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण कार्मिकों को प्रतिमाह व्याज की हानि हो रही है। यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2011-12 से कार्मिकों को सी०पी०एफ० पर्ची निर्गत नहीं की गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है, एवं इससे कार्य-प्रणाली की शिथिलता परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ०१ सप्ताह में कार्मिकों के सी०पी०एफ० अंशदान कटौती की लम्बित समेकित अनुसूचियाँ सचिव, सी०पी०एफ० ट्रस्ट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं कृत कार्यवाही की आव्यासे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

उ०प्र०पा०का०लि०
अभी०प०ट्रस्ट
संलग्नक :—यथोपरि।

शक्ति भवन

संख्या—653—(१)—औ०सं०/२०१८ तददिनांक

(अर्पणा य०)
प्रबन्ध निदेशक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
१. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
 २. प्रबन्ध निदेशक, ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ।
 ३. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
 ४. सचिव (ट्रस्ट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 ५. निदेशक (वित्त), पूर्वांचल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ, मध्यांचल, लखनऊ, दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लिंग को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 ६. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वांचल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ, मध्यांचल, लखनऊ, दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लिंग।

मान्यता (५२)

Dinesh
(अर्पणा य०)
प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीयपरिषद्जू०३० संगठन, उ०प्र०

कृपया छापें।

1067-PSDF/18
21/03/18



विश्वास

-सत्यमेव जयते-

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0

सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ-226001

उ0प्र0रा0वि0प0 आदेश सं0 8022-F(IR-I)90H/73 दि0 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672

(उ0प्र0 डिस्ट्रीक्ट इंजीनियर्स महसंघ से सम्बद्ध)

पत्रांक:- 47 / डी0जी0-14

दिनांक : 26 / 02 / 18

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, लखनऊ

विषय : अंशदायी भविष्य निधि (CPF) खातों के संचालन में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक 04/02/2016 को आपके सादर संज्ञान में लाया गया था कि वितरण/पारेषण क्षेत्रों में तैनात अवर-अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं की सी0पी0एफ0 पर्ची वर्ष 2011-12 से निर्गत नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में संगठन द्वारा अपने स्टार्ट से छानबीन करने पर यह संज्ञान में आया कि खण्डीय कार्यालय द्वारा सी0पी0एफ0 अंशदान कटौती की वार्षिक समेकित अनुसूचियां, सी0पी0एफ0 ट्रस्ट को उपलब्ध न कराये जाने से कार्मिकों के खाते में नियोक्ता का अंशदान समस्या से नहीं जमा हो रहा है जिससे अन्ततः कार्मिकों को प्रतिमाह भारी ब्याज की हानि हो रही है। जो एक वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

इस क्रम में संगठन में क्षेत्रीय शाखा-वाराणसी के सचिव इ0 रत्नेश सेठ का पत्र संलग्न है। पत्र से स्पष्ट है कि बार-बार ध्यानकर्षण के बाद भी खण्डीय इकाइयों एवं उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय की शिथिलता के कारण यह वित्तीय अनियमितता अनवरत रूप से जारी है, जो कार्मिकों एवं कारपोरेशन के हितों के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कार्मिकों का सी0पी0एफ0 अंशदान की कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान समस्या ट्रस्ट को उपलब्ध कराते हुए कार्मिकों के खातों की अद्यांत पर्ची निर्गत कराये जाने हेतु सम्बन्धित को समुचित निर्देश देने की कृपा करें, जिससे कार्मिकों को हो रही वित्तीय हानि एवं वित्तीय अनियमितता को समाप्त किया जा सके।

सादर

भवदीय

(जी0 वी0 पटेल)

केन्द्रीय महासचिव

संलग्नक यथापरोक्त

प्रतिलिपि :-

- ✓ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
- 2 निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
- 3 सचिव (ट्रस्ट) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
- 4 इ0 रत्नेश सेठ, क्षेत्रीय सचिव, शाखा वाराणसी क्षेत्र

Qmtt

(जी0 वी0 पटेल)

केन्द्रीय महासचिव

12.03.18

12/3/18

मान्यता
द्वारा
द्वारा
द्वारा